अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राधेश्याम गोयल पुत्र स्व॰ श्री जगदीश प्रसाद
2. श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी श्री राधेश्याम गोयल

निवासी मकान नम्बर 4, सेक्टर–7, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजेश गोयल पुत्र श्री राधेश्याम गोयल
2. मनीषा गोयल पत्नी श्री राजेश गोयल
3. उत्कर्ष गोयल पुत्र श्री राजेश गोयल
4. गार्गी गोयल पुत्री श्री राजेश गोयल

निवासी मकान नम्बर 4, सेक्टर–7, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 21.06.2024 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 07/2024 ब उनवानी राधेश्याम गोयल बनाम राजेश गोयल व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 12.02.2026**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 07/2024 ब उनवानी राधेश्याम गोयल व अन्य बनाम राजेश गोयल में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–4, 5, 9 एवं 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत कर भरण पोषण राशि दिलवाये जाने एवं भौतिक कब्जा मकान नम्बर मकान नम्बर 4, सेक्टर–7, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर का दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2024 को यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया गया कि प्रार्थीगण के तीन पुत्र है एवं प्रकरण में केवल एक पुत्र राजेश गोयल व उसकी पत्नी व उनके बच्चो को पक्षकार बनाया है जो आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खारिज किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों के कल्याण हेतु प्रावधान बनाये गये है और जिसका उद्देश्य कल्याणकारी होने के कारण उसी आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण नहीं कर मात्र तकनीकी आधार पर गलत रूप से पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने अधिनियम की धारा–4(1) के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अपने सन्तानों में से एक या अधिक के विरूद्ध आवेदन करने का हकदार होगा इस कारण अपीलार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण जिनके विरूद्ध अनुतोष चाहा गया मात्र उनको ही पक्षकार बनाते हुये अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद पेश किया था जो कानूनन उचित है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के बडे पुत्र शैलेष गोयल एव उनकी पत्नी प्रतिभा गोयल एवं उनके दोनो पुत्र अभीक गोयल व मुदित गोयल द्वारा अपीलार्थीगण की सम्पूर्ण रूप से देखभाल एवं सेवा सुश्रुषा की जा रही है तथा अपीलार्थीगण के छोटे पुत्र बृजेश गोयल द्वारा समस्त आर्थिक चिकित्सकीय व्यय का वहन किया जा रहा है तथा देखभाल भी की जा रही है। अपीलार्थीगण द्वारा जिन संतानों से अनुतोष चाहा गया है उन्हीं को पक्षकार बनाया जाकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रकरण का निस्तारण मेरिट के आधार पर नहीं कर मात्र पक्षकारों के असंयोजन की आपत्ति के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण को भरण पोषण राशि 40,000/–रूपये दिलवाये जाने एवं अप्रार्थीगण को मकान नम्बर 4, सेक्टर–7, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर से बेदखल कर भौतिक कब्जा दिलवाये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र अपने पुत्र राजेश गोयल उसकी पत्नी एवं पुत्र पुत्री को ही पक्षकार बनाया जाकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अन्तर्गत धारा–4, 5, 9 व 23 अभिभावको ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण ओर कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण के दो अन्य पुत्र शैलेश गोयल एवं ब्रजेश गोयल एवं एक पुत्री वंदना गोयल भी है जिन्हे प्रार्थना पत्र में पत्नी एवं पति एवं बच्चो सहित अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जबकि अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बडी चालाकी व चतुराई से तैयार करते हुये केवल एक पुत्र को पक्षकार बनाते हुये अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अनुतोष चाहा है। अधिनियम 2007 की धारा 4(4) में प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक उन व्यक्तियों से भरण पोषण की मांग कर सकेगा जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। अप्रार्थीगण के अलावा अपीलार्थीगण के अन्य पुत्र व पुत्री भी अपीलार्थीगण की सम्पति में उत्तराधिकार प्राप्त करेगें। अपीलार्थी संख्या 1 एक प्राईवेट स्कूल में अल्प वेतन पर कार्यरत था तथा सेवानिवृति पर वहा कोई राशि नहीं दी जाती तथा उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 बालिग हो चुका था तथा मकान खरीदे जाने से पूर्व वह लगभग बीस हजार रूपये प्रतिमाह अपीलार्थी संख्या 1 को कमाकर दिया करता था अतः विवादित परिसर प्लॉट नम्बर 7/4 मालवीय नगर जयपुर अपीलार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आय का न होकर परिवार की संयुक्त आय से खरीदा हुआ भू–खण्ड है। अपीलार्थी संख्या 1 परिवार के कर्ता व सबसे बडे होने के नाते, मकान उनके नाम से खरीदा गया जिसमें संयुक्त पूंजी लगी हुई है। उक्त भूखण्ड क्रय किये जाने से पूर्व अपीलार्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 का एक मकान सेठी कालोनी में 300 वर्गगज का सम्पूर्ण बना हुआ है स्थित है जिसे पैतृक सम्पति के बैचान से प्राप्त आय से खरीद कर निर्मित करवाया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा झूंठे आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश कर व

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम के प्रावधानों की आड में प्रत्यर्थीगण को खाली करवाकर इस मकान को बेचना चाहते है तथा राशि ब्रजेश गोयल को देना चाहते है। अधिनियम की धारा–4 में यह प्रावधान है कि "माता–पिता को सम्मिलित करते हुये वरिष्ठ नागरिक जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है" वह भरण पोषण की मांग कर सकता है। प्रत्यर्थीगण के परिसर के अलावा अपीलार्थीगण के पास ग्राउण्ड फ्लोर पर एक कमरा 10,000/–रूपये प्रतिमाह किराये पर दे रखा उक्त तथ्य को अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण से समक्ष छुपाया गया है। अपीलार्थीगण अपने पुत्र ब्रजेश जो कर्जे में डूबा हुआ है उसका कर्जा चुकाने हेतु मकान बेचना चाहते है एवं प्रत्यर्थीगण को उक्त परिसर से बेदखल किये बिना मकान बेचना असंभव है। उक्त परिसर में दो दुकान निर्मित है जिसमें से एक दुकान पर अपीलार्थीगण के पौत्र अभिक गोयल ने लॉयर्स चैम्बर के नाम से ऑफिस खोल रखा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 राजेश गोयल अपने बडे भाई शैलेश गोयल के पास कार्य करता है जिसकी एवज में शैलेश गोयल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 10,000/–रूपये स्वयं के घर खर्च के तथा 10,000/–रूपये अपीलार्थीगण को उनके भरण पोषण के प्रत्यर्थी की ओर से देता है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष केवल भरण पोषण हेतु अपील पोषणीय है, अधिनियम के तहत बेदखली को कोई प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

उभय पक्ष को सनकर तहत रिकार्ड तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष केवल मात्र प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी की पत्नी एवं संतान को पक्षकार बनाकर भरण पोषण राशि 40,000/–रूपये मासिक भरण पोषण राशि एवं विवादित सम्पति से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है जबकि अपीलार्थीगण के अन्य दो पुत्र एवं एक पुत्री को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष संयोजन नहीं किया गया है। माता–पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 में अधिकतम 10,000/–रूपये राशि मासिक दिलाये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपने सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया जाकर केवल एक पुत्र को पक्षकार बनाकर भरण पोषण राशि एवं केवल विवादित सम्पति से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थीगण सभी विधिक पक्षकारों का संयोजन कर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष भरण पोषण अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रकरण का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील केवल प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पति से बेदखल किये जाने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी अधिनियम में अपनी सुविधानुसार आधार बनाकर प्रत्यर्थीगण को सम्पति से बेदखल करना न्यायासंगत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner